>

Title: Need to permit farmers to lay water pipe lines beneath the railway lines free of any charges by railway department.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): किसानों ने देश के विकास हेतु अपनी जमीन रेल विभाग को इसलिए दे दी कि इससे देश का विकास होगा तथा साथ ही कृषि का विकास भी होगा लेकिन कहीं-कहीं किसानों के खेतों के बीच में से रेल लाइन गुजरती है । किसानों को सिंचाई हेतु पानी की पाइप लाइन रेलपटरी के नीचे से ले जाने की जरूरत पड़ती है तब रेल विभाग जल्दी परमिशन नहीं देता है । जहाँ बड़ा नाला हो, उसके नीचे से ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए फिर भी परमिशन नहीं मिलती । लेकिन जब परमिशन देते हैं तो रेल विभाग द्वारा तरह-तरह के चार्ज लगाए जाते हैं जो कि अव्यवहारिक तथा बड़ी रकम के होते हैं । दस साल का किराया 12,500/- रूपये है जिसमें सुपरविजन चार्ज के साथ-साथ अन्य चार्ज लगाकर 2 से 3 लाख का एस्टीमेट दिया जाता है जबकि पाइप लाइन का संपूर्ण खर्च किसान उठाता है । आजाद भारत में यह एक विडम्बना है कि जिस किसान ने देश हित में अपनी महंगी जमीन मिट्टी के भाव में दे दी, उसी के पास से सरकार द्वारा इतनी भारी रकम वसूल की जाती है । यह देश के किसानों के साथ असंगत व्यवहार है । जी-तोड़ मेहनत करने पर किसान का जीवन निर्वाह होता है । गरीब किसानों के लिए नीतियां बनाने वाले लोग किसानों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं । गरीबी के कारण किसान आत्महत्या करते हैं । इस संबंध में सरकार से मेरी मांग है कि किसान विरोधी नियमों को वापस लिया जाए तथा बिना चार्ज पानी की पाइप लाइन रेलपटरी के नीचे से बिछाने की परमिशन दी जाए।